कार्यालय कलेक्टर
जिला भिण्ड (म.प्र.)
शाखा
06 APR 2011
कलेक्टर

SPEED POST

अति महत्वपूर्ण/तत्काल कार्यवाही हेतु

मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

क्र. 6095/22/वि–9/आरजीएम/2011 भोपाल दिनांक 28/03/2011

प्रति,

कलेक्टर,
नोडल अधिकारी – जल अभिषेक अभियान
जिला – **समस्त, मध्यप्रदेश।**

विषयः वर्ष 2011–12 में जल अभिषेक अभियान की आयोजना और कार्यान्वयन के संबंध में।

संदर्भ :
1. विभाग का आदेश क्र.769/22/वि–9/आरजीएम/2010, दिनांक 18.1.2010
2. विभाग का आदेश क्र.2651/22/वि–9/आरजीएम/2010, दिनांक 25/02/2010
3. विभाग का आदेश क्र. 2864/22/वि–9/आरजीएम/2010, दिनांक 02/03/2010
4. विभाग का आदेश क्र.3848/22/वि–9/आरजीएम/2010, दिनांक 23/03/2010
5. विभाग का आदेश क्र.5581/22/वि–9/आरजीएम/2010, दिनांक 29/04/2010
6. विभाग का आदेश क्र.8115/22/वि–9/आरजीएम/2010, दिनांक 22/06/2010

1. <u>पृष्ठभूमि</u> :–

1.1 वर्ष 2011–12 में जल अभिषेक अभियान की आयोजना एवं कार्यान्वयन हेतु यह आदेश संदर्भ में उल्लेखित आदेशों की निरन्तरता में ही जारी किये जा रहे हैं। संदर्भित आदेशों में पूर्व में किये गये लेख अनुसार माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिये गये निर्देशों के अनक्रम में जल अभिषेक अभियान का कार्यान्वयन वर्ष 2011–12 में भी वर्ष भर जारी रहेगा।

1.2 आपको ज्ञात ही है कि जल संरक्षण और संवर्धन कार्यो के व्यापक पैमाने पर कार्यान्वयन हेतु "जल अभिषेक अभियान" राज्य शासन का महत्वाकांक्षी अभियान है और वर्ष 2010–11 से इस अभियान की कार्यनीति को जनसहभागिता प्रोत्साहित करने तथा चिन्हित गतिविधियों के सघन कार्यान्वयन पर केन्द्रित कर परिणाममूलक बनाया गया है। फलस्वरूप वर्ष 2010–11 मे जल अभिषेक अभियान के अंतर्गत "जनसहभागिता को प्रोत्साहित करने" के लिए जहां वातावरण निर्माण (Environment Building), ग्रामीणों में पानी की कमी और इसके संरक्षण के प्रति अहसास (Realization) जागृत करने तथा सामाजिक जुड़ाव (Social Mobilisation) के कार्यकलाप **जैसे पीढ़ी जल संवाद, जल यात्रायें, जल गोष्ठी आदि निष्पादित हुये, वहीं "चिन्हित गतिविधियों के सघन कार्यान्वयन" के लिए नदी पुर्नजीवन, भागीरथ कृषकों द्वारा निजी खेतों पर सिंचाई तालाबों का निर्माण और पुरानी जल संग्रहण संरचनाओं के सुधार/जीर्णोद्धार के कार्यों को प्राथमिकता दी गई।**

1.3 माननीय मुख्यमंत्री जी ने विगत दिनों जल अभिषेक अभियान की राज्य स्तरीय समीक्षा की है और विगत वर्ष की कार्यनीति के अनुरूप ही पीढ़ी जल संवाद, जल गोष्ठी, जल यात्रा, नदी पुर्नजीवन, भागीरथ कृषकों द्वारा निजी खेतों पर सिंचाई तालाबों का निर्माण और पुरानी जल संग्रहण संरचनाओं के सुधार/जीर्णोद्धार के कार्यों को वर्ष 2011–12 में और भी प्रभावी व परिणाममूलक ढंग से कार्यान्वित करने हेतु निर्देशित किया है।

1.4 जल अभिषेक अभियान के अंतर्गत कई जिलों में अभिनव कार्य हुये हैं और उनकी उपलब्धियां भी उल्लेखनीय हैं। अन्य जिलों में जल अभिषेक अभियान के तहत अपेक्षित कार्यों का कार्यान्वयन नहीं हुआ है, जिसके कारणों का कार्यवार उल्लेख **अनुलग्नक – 1** में दर्शाया गया है। अतः वर्ष 2011–12 में इन कारणों का निराकरण करते हुए जल अभिषेक अभियान की आयोजना व कार्यान्वयन करना है।

1.5 उपरोक्त के अनुक्रम में वर्ष 2011–12 में जल अभिषेक अभियान की आयोजना एवं कार्यान्वयन हेतु यह दिशा निर्देश जारी किये जा रहे हैं। कृपया इनके अनुरूप अपने जिले के कार्य नीति तैयार कर जल अभिषेक अभियान के अंतर्गत जल संरक्षण व संवर्धन कार्यों का कार्यान्वयन करायें।

2. वर्ष 2011–12 में जल अभिषेक अभियान का प्रारंभ :–

वर्ष 2011–12 में सामाजिक जुडाव के साथ जल अभिषेक को प्रारंभ करने के लिये प्रत्येक जिले में **दिनांक 10 अप्रैल से 30 अप्रैल 2011 के बीच** विभिन्न स्तरों पर निम्नानुसार आयोजन किये जायेगे:–

2.1 जिला जल संसद का आयोजन

2.1.1 जिले के माननीय प्रभारी मंत्री जी के अध्यक्षता में **"जिला जल संसद"** आयोजित की जाना है। यह आयोजन 1 दिवस का होगा एवं इसे जिले में किसी भी सुविधाजनक जगह पर आयोजित किया जायेगा। **"जिला जल संसद"** हेतु माननीय प्रभारी मंत्री जी की सुविधानुसार उपलब्धता पहले से ज्ञात कर लें।

2.1.2 **"जिला जल संसद"** में जिले के माननीय सांसद, माननीय विधायकगण, जिला एवं जनपद पंचायत के पदाधिकारियों, उल्लेखनीय कार्य करने वाली ग्राम पंचायतों के सरपंच, वित्तीय संस्थानों के प्रतिनिधियों, विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों एवं जल संरक्षण व संवर्धन कार्यों में रूचि रखने वाले नागरिकों, स्वयंसेवी/अशासकीय संस्थाओं के प्रतिनिधियों तथा मीडिया प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जायेगा।

2.1.3 "जिला जल संसद" के आयोजन के प्रमुख उद्देश्य निम्नानुसार होंगे :–

2.1.3.1 जिले में जल अभिषेक अभियान के अंतर्गत अभी तक हुये कार्यों की प्रगति का अंकेक्षण और इनके परिणामों का विश्लेषण करना

2.1.3.2 जिले में अभी तक के जल अभिषेक अभियान के अनुभवों के दृष्टिगत और स्थानीय परिस्थितियों तथा आवश्यकता के अनुरूप वर्ष 2011–12 में जिले में जल अभिषेक अभियान की रणनीति तय करना, किये जाने वाले जल संरक्षण व संवर्धन कार्यों के स्वरूप का निर्धारण करना, कार्य योजना तय करना और सामाजिक जुड़ाव के लिए किये जाने वाले कार्यों का निर्धारण करना

2.1.3.3 नदी पुर्नजीवन हेतु तय की गई कार्य योजना व अभी तक हुये कार्यों की प्रगति का अंकेक्षण करना, जल संरक्षण बजट को ध्यान में रखकर नदी पुर्नजीवन की कार्य योजना का पुर्ननिर्धारण व आगामी वर्ष में किये जाने वाले कार्यों का "वार्षिक प्लान" तैयार करना, वार्षिक प्लान में शामिल कार्यों के कार्यान्वयन हेतु शासकीय योजनाओं से अभिसरण तथा अपेक्षित जनसहभागिता का निर्धारण करना। नदी पुर्नजीवन और माइक्रोप्रोजेक्ट के कार्यों में बेहतर समन्वय स्थापित करने की रणनीति तय करना

2.1.3.4 भागीरथ कृषकों द्वारा किये गये कार्यों की प्रगति का अंकेक्षण और इनके प्रभावों (विशेषकर जनित हुई सिंचाई सुविधा तथा कृषि उत्पादन में बढोत्तरी के संदर्भ में) का विश्लेषण करना और आगामी वर्ष में अधिक से अधिक भागीरथ कृषकों के चिन्हांकन तथा उन्हें स्वयं के संसाधनों से जल संरक्षण कार्यों के कार्यान्वयन के लिए प्रोत्साहित करने की रणनीति एवं प्रक्रिया का निर्धारण करना।

2.1.3.5 लघु एवं सीमांत कृषकों द्वारा समूह बनाकर स्वयं के प्रयासों से लिये जा सकने वाले सामूहिक जल संरक्षण व संवर्धन कार्यों का निर्धारण करना, इस हेतु संबंधित किसानों को प्रोत्साहित करने की रणनीति व प्रकिया तैयार करना, इन समूहों के सदस्यों हेतु शासकीय योजनाओं से लिये जा सकने वाले जल संरक्षण व संवर्धन कार्यों का निर्धारण करना।

2.1.3.6 पुरानी जल संग्रहण संरचनाओं के सुधार एवं जीर्णोद्धार हेतु रणनीति, प्रक्रिया तथा वित्तीय संसाधनों के स्त्रोतों का निर्धारण करना।

2.1.3.7 जल अभिषेक अभियान के तहत किये गये अभिनव प्रयासों व सफलता की कहानियों का प्रस्तुतीकरण

2.1.3.8 जल अभिषेक अभियान के तहत जल संरक्षण व संवर्धन का स[illegible]म उदाहरण प्रस्तुत करने वाली ग्राम पंचायतों/व्यक्तियों / भागीरथ कृषक[illegible] का [illegible]म्मान करना तथा उन्हें प्रशस्ती पत्र का प्रदान करना।

2.1.3.9 जिला जल संसद के प्रतिभागियों को जल के संरक्षण की शपथ दि[illegible]ना।

2.[illegible]4 **"जिला जल संसद"** के आयोजन हेतु समूह चर्चा (Pannel Discussion), रा[illegible] शुमारी और प्रस्तुतीकरण आदि प्रक्रियायें अपनाई जायें तथा भाषण / व्याख्यान जैसे अ[illegible]यवों को कम से कम निष्पादित किया जाये। सम्मेलन स्थल पर जल संरक्षण व संव[illegible]न कार्यो के विकल्प को दर्शाने के लिए मॉडल, छायाचित्र, चित्रों का प्रयोग कर प्र[illegible]र्शनी का भी आयोजन किया जा सकता है।

2.[illegible]5 जिला जल संसद के आयोजन की कार्यवाहियों को अभिलेखित किया जा[illegible]गा और इस पर एक रिपोर्ट भी तैयार की जावेगी। जिला जल संसद के आयोजन त[illegible] इसकी रिपोर्ट का इलेक्ट्रानिक एंव प्रिन्ट मीडिया के माध्यम से समुचित प्रचार प्रसार भी [illegible]या जावे।

2.2 <u>जनपद जल सम्मेलनों का आयोजन</u>

2.2.1 प्रत्येक जनपद पंचायत के स्तर पर **"जनपद जल सम्मेलनों "** का भी 1 दिवसीय आयोजन किया जाना है एवं इसे जनपद के कार्य क्षेत्र में किसी भी सु[illegible]धाजनक जगह पर आयोजित किया जा सकता है।

2.2.2 **"जनपद जल सम्मेलनों "** का आयोजन संबंधित क्षेत्र के माननीय विधायक जी की अध्यक्षता में किया जायेगा। इस आयोजन में जनपद पंचायत एवं ग्राम पंचायतों के पदाधिकारियों, वित्तीय संस्थानों के प्रतिनिधियों, विभिन्न विभागों के विकासखण्ड स्तरीय अधिकारियों, स्वयं सेवी / अशासकीय संस्थाओं के प्रतिनिधियों एवं जल संरक्षण व संवर्धन कार्यो में रूचि रखने वाले नागरिकों तथा मीडिया प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जायेगा।

2.2.3 जनपद जल सम्मेलनों का प्रमुख उद्देश्य जल अभिषेक अभियान हेतु प्रशिक्षण तथा अभी तक हुये कार्यों की प्रगति का अंकेक्षण और आगामी वर्ष के कार्यो का निर्धारण करना है, जिसके लिए इन सम्मेलनों की कार्य सूची में निम्नानुसार विषय शामिल किये जायेंगे :-

2.2.3.1 **"जनपद जल सम्मेलनों "** के प्रतिभागियों को जल संरक्षण व संर्वधन हेतु लिये जा सकने वाले कार्यों, विभिन्न शासकीय योजनाओं व वित्तीय स्त्रोंतों तथा जन सहभागिता हेतु विभिन्न प्रक्रियों पर भी प्रशिक्षण देना

2.2.3.2 संबंधित विकास खण्ड में जल अभिषेक अभियान के तहत अभी तक हुये कार्यों की प्रगति का अंकेक्षण और इन कार्यों के प्रभावों व परिणामों का विश्लेषण,

आगामी वर्ष में जल अभिषेक अभियान के तहत किये जाने वाले जल संरक्षण व संवर्धन कार्यों की कार्य योजना तय करना, वित्तीय स्त्रोतों का निर्धारण करना तथा सामाजिक जुड़ाव के लिए किये जा सकने वाले कार्यों का निर्धारण करना ।

2.2.3.3 विशेष रुप से नदी पुर्नजीवन, भागीरथ कृषको, पुरानी जल संग्रहण संरचनाओं का सुधार तथा लघु एवं सीमान्त कृषको के कार्यो की कार्य योजना, कार्यान्वयन तथा इस हेतु वित्तीय संसाधनों के नियोजन और जन सहभागिता पर भी इन सम्मेलनों में विचार विमर्श करना तथा की जाने वाली कार्यवाही का प्रारूप तय करना।

2.2.3.4 जल अभिषेक अभियान के तहत किये गये अभिनव प्रयासों व सफलता की कहानियों का प्रस्तुतीकरण

2.2.3.5 जनपद जल सम्मेलन के प्रतिभागियों को जल के संरक्षण की शपथ दिलाना।

2.2.4 **"जनपद जल सम्मेलनों "** के आयोजन की कार्यवाहियों को अभिलेखित किया जावेगा और इस पर एक रिपोर्ट भी तैयार की जावेगी। **"जनपद जल सम्मेलनों "** के आयोजन तथा इसकी रिपोर्ट का इलेक्ट्रानिक एंव प्रिन्ट मीडिया के माध्यम से समुचित प्रचार प्रसार भी किया जावे।

2.3 नदी पुर्नजीवन पर केन्द्रित जल यात्राओं तथा नदी संवाद का आयोजन

2.3.1 इस वर्ष "जल यात्राओं" का आयोजन "नदी पुर्नजीवन" हेतु चयनित नदी के प्रवाह क्षेत्र में तथा इसके कैचमेंट के ग्रामों में किया जायेगा। जल यात्रा के समागम स्थल पर ही नदी के पुर्नजीवन के संकल्प के साथ "नदी संवाद" आयोजित किया जायेगा। **इस "जल यात्रा" व "नदी संवाद" का आयोजन भी जिले के माननीय प्रभारी मंत्री जी की अध्यक्षता में आयोजित करना होगा।** इस बारे में उनसे उनकी सुविधा पहले से ज्ञात कर लें।

2.3.2 उपरोक्तानुसार "जल यात्रा" व "नदी संवाद" के आयोजन में स्थानीय नागरिक शामिल होगे और इनके साथ ही माननीय सांसद/विधायकगण, पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधि, शासकीय विभागों और बैंकों के अधिकारियों तथा स्वयंसेवी/अशासकीय संस्थाओं के प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया जायेगा। इसके अलावा जिला स्तर से मीडिया की भी भागीदारी सुनिश्चित की जाये।

2.3.3 जल यात्रा के आयोजन में चयनित नदी के **कैचमेंट क्षेत्र में** पुर्नजीवन हेतु जल संरक्षण व संवर्धन कार्यों के लिए तैयार किये गये जल संरक्षण बजट, किये जाने वाले कार्यों, पूर्व में नदी के गौरव तथा प्रवाह की जानकारी एवं प्राप्त होने वाले लाभों और समाज से अपेक्षाओं संबंधी जानकारी के बैनर और फ्लेक्स का प्रदर्शन किया जाना चाहिए।

2.3.4 नदी संवाद के आयोजन में निम्न बिन्दुओं पर विचार विमर्श एवं प्रस्तुतीकरण किया जायेगा :–

(क) नदी पुर्नजीवन हेतु इसके कैचमेंट क्षेत्र में तैयार किये गये जल संरक्षण बजट के अनुसार किये जाने वाले कार्यों में से अभी तक किये गये कार्य और इनके फलस्वरूप प्राप्त हुये परिणाम;

(ख) नदी पुर्नजीवन हेतु इसके कैचमेंट क्षेत्र में तैयार किये गये जल संरक्षण बजट के अनुसार प्रस्तावित कार्य योजना, स्थानीय नागरिकों के अनुभवों के आधार पर लिये जा सकने वाले अन्य जल संरक्षण व संवर्धन कार्य, चयनित कार्यों के कार्यान्वयन हेतु शासकीय योजनाओं से अभिसरण तथा जनसहभागिता से संसाधन नियोजन इत्यादि;

नदी संवाद के आयोजन में उपरोक्तानुसार बिन्दुओं पर प्रस्तुतीकरण कलेक्टर/मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत द्वारा ही किया जायेगा।

2.3.5 नदी संवाद का अपेक्षित परिणाम यह होना चाहिए कि समग्र विचार विमर्श के पश्चात आगामी वर्षों में लिये जा सकने वाले जल संरक्षण व संवर्धन कार्यों का निर्धारण हो सके और इन कार्यों के कार्यान्वयन हेतु शासकीय योजनाओं का निर्धारण हो सके तथा स्थानीय समाज के दायित्व निर्धारित किये जा सके। **"जल यात्रा" व "नदी संवाद" के आयोजन के अवसर पर नदी के कैचमेंट में कम से कम 1 वृहद स्वरूप के जल संरक्षण व भूजल संवर्धन कार्य की शुरूआत भी की जाये।**

2.3.6 "जल यात्रा" तथा "नदी संवाद" के आयोजन की कार्यवाहियों को अभिलेखित किया जावेगा और इस पर एक रिपोर्ट भी तैयार की जावेगी। "जल यात्रा" तथा "नदी संवाद" के आयोजन तथा इसकी रिपोर्ट का इलेक्ट्रानिक एंव प्रिन्ट मीडिया के माध्यम से समुचित प्रचार प्रसार भी किया जावे।

3 नदी पुर्नजीवन के कार्य की आयोजना और कार्यान्वयन :–

3.1 उल्लेखनीय है कि नदी पुर्नजीवन का कार्य जल संरक्षण और संवर्धन कार्यों के समेकित कार्यान्वयन का सर्वोत्तम प्रादर्श है। **नदी पुर्नजीवन के कार्य की समग्रता और बहुआयामी परिणामों के दृष्टिगत माननीय मुख्यमंत्री जी ने वर्ष 2011–12 में इस** कार्य के **प्रभावी कार्यान्वयन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है।** आने वाले समय में ऐसे जिले जहां माननीय मुख्यमंत्री जी प्रवास पर जायेंगे, उन जिलों में वे नदियों को पुर्नजीवित करने के कार्यों की कार्य योजना की समीक्षा और संपादित कार्यों का अवलोकन भी करेंगे।

3.2 नदी पुर्नजीवन के कार्य की अद्यतन स्थिति की जिलेवार प्रारंभिक समीक्षा में यह भी प्रकाश में आया है कि कतिपय जिलों में इस कार्य की अवधारणा को बेहतर तरीके से ग्राह्य नहीं किया गया है तथा कतिपय बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण भी आवश्यक है। अतः प्रकरण की गंभीरता और महत्व के दृष्टिगत नदी पुर्नजीवन के कार्य की कार्य योजना तैयार कर कार्यान्वयन के संबंध में **अनुलग्नक – 2** में विस्तृत मार्गदर्शिका संलग्न की गई है। कृपया इसके अनुरूप नदी पुर्नजीवन के कार्य की आयोजना और कार्यान्वयन सुनिश्चित करायें।

4 **भागीरथ कृषकों के माध्यम से जल संरक्षण एवं संवर्धन कार्यों का कार्यान्वयन** :–

4.1 जल अभिषेक अभियान के अंतर्गत विगत वर्ष से सामर्थ्यवान कृषकों (Potential Farmers) को उनके स्वयं के वित्तीय संसाधनों से स्वयं की खेती को पूर्ण रूप से सिंचित बनाने के लिए जल संरक्षण और भूजल संवर्धन के कार्य करने के लिए प्रेरित किया गया है। इन कृषकों को **"भागीरथ कृषक"** कहा गया है। वर्ष 2011–12 में भी अधिक से अधिक भागीरथ कृषकों को चिन्हित कर उनके माध्यम से जल संरक्षण और भूजल संवर्धन के कार्य किये जाने है। तत्संबंध में **अनुलग्नक – 3** में विस्तृत मार्गदर्शिका संलग्न की गई है। कृपया इसके अनुरूप "भागीरथ कृषक" के कार्यों की आयोजना और कार्यान्वयन सुनिश्चित करायें।

5 **पूर्व से मौजूद जल संग्रहण संरचनाओं की मरम्मत/नवीकरण/पुनरोद्धार** :–

5.1 गांवों में परम्परागत तौर पर ऐसी जल संग्रहण संरचनाओं नामतः तालाबों इत्यादि का निर्माण हुआ है, जिनका स्थानीय ग्रामीणों की आजीविका से नाता रहा है। आज यह जल संग्रहण संरचनायें विभिन्न कारणों जैसे कैचमेंट में अतिक्रमण, जल भराव क्षेत्र में गाद जमा होना, बंड की टूट–फूट इत्यादि के कारण अनुपयोगी हो गई हैं। इस प्रकार की संरचनाओं की मरम्मत/नवीकरण/पुनरोद्धार का कार्य शासकीय योजनाओं तथा जनसहभागिता के अभिसरण (Convergence) से किया जा सकता है। पूर्व से मौजूद तथा ग्रामीण आजीविका में सहयोगी रही जल संग्रहण संरचनाओं के सुधार के लिए ग्रामीणजन सहभागिता देने के लिए सहर्ष तैयार भी होंगे। इस प्रकार के कार्यों के अंतर्गत पुराने चैकडेम/स्टाप डेम/नाला बंधान को भी मरम्मत/नवीकरण/ पुनरोद्धार के लिए चिन्हांकित किया जा सकता है।

5.2 उक्त के परिप्रेक्ष्य में वर्ष 2011–12 में जल अभिषेक अभियान हेतु ग्राम पंचायतवार पूर्व से मौजूद मरम्मत/नवीकरण/पुनरोद्धार योग्य जल संग्रहण संरचनाओं को चिन्हित किया जाकर इनके सुधार हेतु जनसहभागिता एवं शासकीय योजनाओं से अभिसरण हेतु कार्य योजना तैयार कर कार्यान्वयन कराया जाये।

6 शासकीय योजनाओं से कार्यान्वित होने वाले नवीन कार्यों में जनसहभागिता प्राप्त करना

6.1 जल संरक्षण व संवर्धन के ऐसे नवीन प्रस्तावित कार्य/ग्रामीणों द्वारा अपेक्षित कार्य जिनमें लागत, सामग्री तथा निर्माण हेतु मशीन इत्यादि की पूर्ति शासकीय योजनाओं के प्रावधानों के अनुरूप नहीं हो पा रही है, उनके कार्यान्वयन के लिए जनसहभागिता ली जा सकती है। पानी की समस्या वाले क्षेत्रों में इस प्रकार के कार्यों में जनसहभागिता प्राप्त करने की दिशा में सार्थक प्रयास किये जा सकते हैं।

6.2 अतः विकासखण्डवार जल संरक्षण व संवर्धन के ऐसे नवीन प्रस्तावित कार्यों जिनमें लागत, सामग्री तथा निर्माण हेतु मशीन इत्यादि की पूर्ति शासकीय योजनाओं के प्रावधानों के अनुरूप नहीं हो पा रही है, का चिन्हांकन कर लिया जाये। ऐसे कार्यों के कार्यान्वयन के लिए शासकीय योजना के तहत कितने संसाधन उपलब्ध हो सकते हैं, यह भी निर्धारित कर लिया जाये। तदोपरांत चिन्हांकित कार्य के संपादन के लिए कितने और संसाधनों की आवश्यकता पड़ेगी, यह निर्धारण कर स्थानीय लोगों को इन संसाधनों की पूर्ति के लिए जनसहभागिता प्रदान करने हेतु प्रेरित किया जाये। इस प्रकार की जनभागीदारी हेतु ग्रामीणों को प्रेरित करने में माननीय सांसद, माननीय विधायकगण, जिला कलेक्टर एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी–जिला पंचायत, अनुविभागीय अधिकारी – राजस्व की सक्रिय भागीदारी निश्चित ही परिणाममूलक होगी। इस प्रकार की जनसहभागिता प्राप्त करने के लिए ग्रामीणों को भी संपादित होने वाले कार्य की उपयोगिता और औचित्य से भलीभांति अवगत कराना होगा। बेहतर होगा कि ग्रामीणों द्वारा अपेक्षित जल संरक्षण कार्यों (उदाहरणस्वरूप सामूहिक सिंचाई तालाबों का निर्माण) को उनसे जनसहभागिता प्राप्त करने के लिए प्राथमिकता पर कार्यान्वित कराया जाये।

7 शासकीय योजनाओं से अभिसरण से जल संरक्षण व संवर्धन कार्यों का कार्यान्वयन :–

7.1 पूर्व में यह अनुभव रहा है कि कतिपय शासकीय योजनाओं में जल संरक्षण व संवर्धन के कार्यों का प्रावधान होने के बावजूद इन कार्यों के कार्यान्वयन को प्राथमिकता नहीं दी गई है। यदि इन योजनाओं के वित्तीय संसाधनों का उपयोग जल संरक्षण और संवर्धन कार्यों के लिए किया जाये तो जल अभिषेक अभियान के अंतर्गत बेहतर भौतिक प्रगति अर्जित की जा सकती है। अतः वर्ष 2011–12 में ऐसी सभी शासकीय योजनाओं को चिन्हित कर लिया जाये, जिनके तहत जल संरक्षण व संवर्धन कार्य हो सकते हैं। सांकेतिक तौर पर अभिसरित की जा सकने वाली योजनाओं की सूची **अनुलग्नक – 4** पर दी गई है।

8. "जल स्वावलंबी" ग्राम बनाने की आयोजना और कार्यान्वयन :–

8.1 **ग्राम को "जल स्वावलंबी" बनाने का आशय यह है कि उस गांव के भौगोलिक क्षेत्र में वर्षा जल की प्रत्येक बूंद को गांव की भौगोलिक सीमा के अंदर ही संरक्षित किया जाये, ताकि ग्राम में विभिन्न प्रयोजनों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए पानी की संवहनीय उपलब्धता सुनिश्चित हो सके।**

8.2 वर्ष 2011–12 में जल अभिषेक अभियान हेतु प्रारंभ किये जाने वाला यह विशिष्ट प्रयास होगा। इसके तहत चयनित ग्रामों में **"जल संरक्षण बजट"** तैयार कर इसके अनुसार संपूर्ण वर्षा जल को संरक्षित करने के लिए आवश्यक सतही जल सग्रहण व भूजल संवर्धन कार्यों का सघन कार्यान्वयन किया जायेगा तथा पानी के सदुपयोग की प्रणालियों को भी अपनाया जाएगा। इस हेतु प्रत्येक विकास खण्ड में 5 ऐसे ग्रामों को चिन्हित किया जायेगा, जहां खेती वर्षा आधारित है, सिंचाई सुविधा उपलब्ध नहीं है, भूजल स्तर में लगातार गिरावट हो रही है, सतही जल के स्त्रोतों में जल उपलब्धता कम होती जा रही है और ग्रीष्म काल मे पेयजल समस्या होती हो। यह ग्राम माइको प्रोजेक्ट अथवा जलग्रहण क्षेत्र परियोजनाओं के तहत चयनित ग्राम भी हो सकते हैं।

8.3 "जल स्वावलंबी" **बनाने हेतु चयनित ग्रामों में जल संरक्षण बजट को ध्यान में रखकर** किये जा सकने वाले सतही जल संग्रहण और भूजल संवर्धन के कार्यों का चिन्हांकन नेट प्लानिंग के माध्यम से किया जायेगा । तदोपरांत साइट स्पेसिफिक डिजाइन व प्राकलन तैयार कर जल संरक्षण और संवर्धन कार्यों की समेकित कार्य योजना तैयार की जाएगी और विभिन्न शासकीय विभागों की योजनाओं तथा जन सहभागिता के अभिसरण से इन कार्यों का कार्यान्वयन किया जाएगा। समेकित कार्य योजना संबंधित शासकीय विभागों के विकास खण्ड स्तरीय अधिकारियों/ परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों के सदस्यों को शामिल कर तैयार की गई टीम द्वारा तैयार की जायेगी। कार्य योजना में शामिल कार्य संबंधित योजना के प्रावधानों के अनुरूप संबंधित कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा जा सकेगा।

8 लघु एवं सीमांत कृषकों के जल समूहों का गठन एवं इनके लिये जल संरक्षण और संवर्धन कार्यों का कार्यान्वयन :–

8.1 यह पहल भी वर्ष 2011–12 में जल अभिषेक अभियान के तहत प्रारंभ की जाने वाली नवीन पहल है। इस हेतु प्रत्येक विकास खण्ड में लघु एवं सीमांत कृषकों के 15 समूह गठित किये जायेंगे । ऐसे प्रत्येक समूह में 10 से 15 किसान शामिल हो सकते हैं। यह समूह **"जल समूह"** कहलायेंगे।

8.2 जल समूह के कृषकों को सर्वप्रथम आपस में निर्णय लेकर स्वयं के संसाधनों से निर्मित किये जा सकने वाले एकल अथवा सामूहिक जल संरक्षण और संवर्धन कार्य का निर्धारण करना होगा । ऐसे जल समूहों के सदस्यों द्वारा स्वयं से किये जाने वाले कार्य के निर्धारण तथा इसके कार्यान्वयन के प्रतिब्द्धता व्यक्त करने पर इनके खेतों पर शासकीय योजनाओं से लिये जा सकने वाले जल संरक्षण और संवर्धन कार्यों का निर्धारण कर कार्यान्वयन किया जाएगा।

9 <u>ग्राम स्तर पर पीढ़ी जल संवाद :–</u>

9.1 विगत वर्ष जल अभिषेक अभियान में सामाजिक जुडाव हेतु पीढ़ी जल संवाद के अच्छे परिणाम सामने आये हैं, विशेष रूप से उन ग्रामों में जहां जिला प्रशासन ने स्वयं रूचि लेकर पीढ़ी जल संवाद को उसकी अवधारणा के अनुरूप निष्पादित कराया है। अतः वर्ष 2011–12 में भी जल अभिषेक अभियान के अंतर्गत सभी ग्रामों में अप्रैल 2011 तथा उसके उपरांत अगस्त 2011 में आयोजित होने वाली ग्राम सभाओं तथा अन्य राष्ट्रीय महत्व के उत्सवों के दौरान गांव के बुजुर्ग व्यक्तियों का ग्राम के युवाओं के साथ खुला जल संवाद आयोजित किया जाये।

9.2 उल्लेखनीय है कि पीढी जल संवाद तभी सार्थक होगा जब इसमें अधिक से अधिक ग्रामीण भाग लें। अतः पीढी जल संवाद के आयोजन हेतु **अनुलग्नक – 5** पर मार्गदर्शिका संलग्न की जा रही है। कृपया इसके अनुरुप पीढी जल संवाद का आयोजन किया जाए। पीढी जल संवाद के अवसर पर संबंधित ग्राम पंचायत में एक वृहद स्वरूप के जल संरक्षण व भूजल संवर्धन के कार्य की भी शुरूआत की जाए।

10 <u>ग्राम पंचायतों से सतत् संवाद :–</u>

10.1 जनसहभागिता और शासकीय योजनाओं से जल संरक्षण एवं संवर्धन कार्यो के कार्यान्वयन हेतु ग्राम पंचायतें सबसे सशक्त माध्यम हैं। अतः यह भी आवश्यक होगा कि पंचायत पदाधिकारियों के मन में पानी बचाने के अहसास को और इसके लिए उनके दायित्वों को सतत् रूप से चेतन रखा जाये।

10.2 जब भी जिले के अधिकारी ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रमण पर जायें, तब ग्राम पंचायतों के पदाधिकारियों के साथ जल संरक्षण और संवर्धन के विषय, ग्राम पंचायत के कार्य क्षेत्र में किये जा रहे जल संरक्षण कार्यों और जनसहभागिता पर अवश्य चर्चा करें। इसके अतिरिक्त जनपद पंचायत के स्तर पर प्रत्येक माह सभी सरपंचों को आमंत्रित कर जल संरक्षण एवं संवर्धन के कार्यों की प्रगति, जनसहभागिता और ग्राम पंचायतों की भूमिका पर अवश्य चर्चा की जाये।

11 स्थानीय माध्यमों के द्वारा प्रचार प्रसार :–

11.1 जन संचार माध्यमों के द्वारा जल संरक्षण और संवर्धन की आवश्यकता, लिये जा सकने वाले जल संरक्षण कार्यों के विकल्प, योजनाओं, जनसहभागिता देने वाले ग्रामीणों, निजी सिंचाई तालाब वाले भागीरथ कृषकों, नदी पुर्नजीवन के कार्यों, पुरानी जल संग्रहण संरचनाओं के सुधार के कार्यों का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाये। प्रत्येक दिन जल अभिषेक अभियान के तहत संपादित अभिनव/उल्लेखनीय कार्य के संबंध में प्रेस नोट जारी कराया जाये।

11.2 ग्राम पंचायत के कार्यालय में जल अभिषेक अभियान की वार्षिक कार्य योजना में चयनित कार्यों की सूची चस्पा की जाये।

12. संस्थागत व्यवस्था :–

12.1 प्रत्येक 10 – 15 ग्राम पंचायतों के संकुल पर तकनीकी अधिकारियों/कर्मचारियों तथा अन्य अधिकारियों का एक दल गठित किया जाये, जो वातावरण निर्माण और समाजिक जुड़ाव के लिए उपरोक्तानुसार गतिविधियों के परिणाममूलक निष्पादन के लिए कार्य करे। यही दल जल अभिषेक अभियान के आगामी अवयवों नामतः जल संरक्षण व संवर्धन कार्यों के चयन, आयोजना तैयार कराने एवं कार्यान्वयन में भी आवश्यक समन्वय एवं सहयोग करेगा।

12.2 जल अभिषेक अभियान हेतु वातावरण निर्माण और सामाजिक जुड़ाव के कार्यों तथा आगामी अवयवों नामतः जल संरक्षण व संवर्धन कार्यों के चयन, आयोजना तैयार कराने एवं कार्यान्वियन में ऐसे स्वयंसेवी संगठनों/अशासकीय संगठनों को जोड़ा जा सकता है, जो समर्पण की भावना से जल संरक्षण एवं संवर्धन के क्षेत्र में कार्य करना चाहते हैं।

13 जल अभिषेक अभियान को नेतृत्व प्रदान करना एवं उल्लेखनीय कार्यान्वयनकर्ताओं को सम्मान :–

13.1 जल अभिषेक अभियान का नेतृत्व माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं कर रहे हैं। वे प्रदेश के सर्वोच्च जल नायक हैं।

13.2 ग्राम स्तर पर जल अभिषेक अभियान को नेतृत्व देने के लिए सरपंचों को स्थानीय ग्राम पंचायत के जल नायक की संज्ञा दी जाये। ऐसे सरपंच जो जल अभिषेक अभियान हेतु उल्लेखनीय जल संरक्षण एवं भूजल संवर्धन कार्य करवाकर खेती, पेयजल एवं अन्य प्रयोजनों के लिए पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करायेंगे, उन्हें चिन्हित किया जाकर

"भागीरथ जल नायक" के रूप में जिला स्तर पर सम्मानित किया जाये और अन्य सरपंचों को उनके कार्य क्षेत्र में जल संरक्षण कार्यों के अवलोकन के लिए भी आमंत्रित किया जाये।

13.3 ऐसे शासकीय अधिकारी/कर्मचारी जो जल अभिषेक अभियान के अंतर्गत न्यूनतम 25 भागीरथ कृषकों को चिन्हांकित कराकर जल संरक्षण व संवर्धन कार्यों का कार्यान्वयन करायेंगे अथवा अन्य जल संरक्षण व संवर्धन कार्यों में न्यूनतम रू. 50.00 लाख की जनसहभागिता सुनिश्चित करायेंगे, उन्हें "जल प्रेरक" के रूप में जिला स्तर पर सम्मानित किया जाये।

13.4 ऐसे स्वयंसेवी संगठन/अशासकीय संगठन जो जल अभिषेक अभियान के अंतर्गत न्यूनतम 100 भागीरथ कृषकों को चिन्हांकित कराकर जल संरक्षण व संवर्धन कार्यों का कार्यान्वयन करायेंगे अथवा नदी पुर्नजीवन कार्यों में न्यूनतम रू. 100.00 लाख की जनसहभागिता सुनिश्चित करायेंगे, उन्हें "जल सारथी" के रूप में जिला स्तर पर सम्मानित किया जाये।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

(आर.परशुराम)
अपर मुख्य सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

पृ.क्र. 6096/22/वि–9/आरजीएम/2011 भोपाल दिनांक 28/03/2011

प्रतिलिपि :

1. संभाग आयुक्त, संभाग – समस्त की ओर सूचनार्थ हेतु प्रेषित। आपके स्तर पर ली जाने वाली समीक्षा बैठकों में जल अभिषेक अभियान हेतु उपरोक्तानुसार लिये जाने वाले कार्यों की समीक्षा जिलेवार करने का कष्ट करें।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, जिला – समस्त की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(आर.परशुराम)
अपर मुख्य सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

अनुलग्नक – 1

जल अभिषेक अभियान के तहत अपेक्षित कार्यों का कार्यान्वयन नहीं होने के कारण

भागीरथ कृषक के कार्य

* ऐसे कृषकों का चयन किया जाना जिनके पास स्वयं की खेती की सिंचाई के लिए कोई न कोई वैकल्पिक स्त्रोत उपलब्ध है।
* ऐसे कृषकों का चयन नहीं किया जाना जिनके लिए सतही जल एकत्रित कर उससे सिंचाई करने के अलावा कोई वैकल्पिक स्त्रोत उपलब्ध नहीं हो सकता।
* पर्याप्त सामर्थ्य के कृषकों अर्थात आर्थिक रूप से सम्पन्न ऐसे कृषकों का चिन्हांकन नहीं किया जाना जो स्वयं के संसाधनों से सतही जल संग्रहण के कार्य ले सकते हैं।
* चयनित कृषकों द्वारा सिंचाई तालाब/बांध के कार्य न लेकर छोटे कार्य जैसे मेढ बंधान के कार्य लेना
* चयनित कृषको द्वारा चुने गये कार्यो के कार्यान्वयन में तकनीकी सहयोग एवं मार्गदर्शन अभाव तथा मशीनों आदि की व्यवस्था न कर पाना
* बैकों से वित्तीय नियोजन की प्रणाली में पर्याप्त सहयोग नहीं मिलना

नदी पुर्नजीवन के कार्य

* नदी पुर्नजीवन के सिद्धांत और प्रणालियों को समझ नहीं पाना अर्थात यह समझ विकसित ही नहीं होना कि नदी पुर्नजीवन के लिए नदी के कैचमेंट में सतही जल संग्रहण और भूजल संवर्धन के कार्यों सघन कार्यान्वयन करना है
* **नदी के कैचमेंट में "जल संरक्षण का बजट" तैयार किये बिना अपर्याप्त कार्य योजना तैयार करना तथा सतही जल संग्रहण और भूजल संवर्धन के पर्याप्त कार्यों का चयन ही नहीं होना**
* कार्यो के कार्यान्वयन के लिए विभिन्न शासकीय योजनाओं के अभिसरण का अभाव
* अत्याधिक लंबाई की नदी अथवा वृहद कैचमेंट वाली नदी का चयन होना
* ऐसी नदी का चयन कर लेना जिसमें सिंचाई परियोजनाओं के तहत बांध बनना प्रस्तावित है
* नदी के कैचमेंट का सही – सही चिन्हांकन नहीं कर पाना, जिसके कारण यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि कैचमेंट के किन – किन ग्रामों में जल संरक्षण और संवर्धन के कार्य करना है
* चयनित कार्यों का अत्यंत धीमा कार्यान्वयन
* कैचमेंट में सतही जल संग्रहण और भूजल संवर्धन के कार्यों के कायों बजाय नदी के प्रवाह क्षेत्र में गहरी करण और स्टाप डेम के कार्य लेना
* कार्य योजना के अनुरूप चयनित कार्यों के कार्यान्वयन के लिए अपर्याप्त वित्तीय प्रबंधन
* जन सह भागिता का अभाव
* जिला स्तर से प्रबंधन एवं अनुश्रवण का अभाव

पुरानी जल संग्रहण संरचनाओं का सुधार / जीणोद्धार

* जल संग्रहण संरचनाओं का चिन्हांकन नहीं हो पाना

* जल संग्रहण संरचनाओं को पुर्नजीवन करने के लिए वास्तव में कौन सा कार्य करना है इसका सही निधारण नहीं होना
* चयनित संरचना में अपेक्षित सुधार /जीणोद्धार के लिए किये जाने वाले कार्य का सही तरीके से तकनीकी सवेक्षण नहीं होना तथा किये जाने वाले कार्य की कोई आयोजना भी तैयार नहीं करना
* तकनीकी पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण का अभाव

पीढ़ी जल संवाद

* जल संवाद के दौरान सह भागियों की अत्यंत अल्प उपरिथति
* जिला प्रशासन की भूमिका सहयोगी की न होकर अथिति की भूमिका होना
* संवाद के दौरान कार्य सूची स्पष्ट नहीं होना
* ग्राम पंचायतों की नगण्य भूमिका

अनुलग्नक – 2

नदी पुर्नजीवन के कार्य की आयोजना और कार्यान्वयन की मार्गदर्शिका

1. नदी को पुर्नजीवित करने का आशय :–

1.1 नदियों/नालों में बरसात के समय बहने वाला पानी वर्षा जल के प्रवाह (Surface Runoff) से उपलब्ध होता है, परन्तु बरसात समाप्त होने के बाद नदियों/नालों में बहने वाला पानी वास्तव में बेस फ्लो के रूप में उपलब्ध भूजल होता है, जो रिस कर नदी/नालों में प्रवाहित होता रहता है। सतही जल तथा भूजल के असंतुलित दोहन के कारण और भूजल स्तर गिरने के कारण स्थानीय स्तर पर कई ऐसी नदियां/नाले हैं, जिनमें बरसात के बाद अक्टूबर – नवम्बर माह में पानी सूख जाता है। ऐसी नदियों/नालों के कैचमेंट तथा अपस्ट्रीम में यदि जल संरक्षण और भूजल संवर्धन के कार्य किये जायें तो बेस फ्लो के रूप में भूजल का रिसाव पुनः जागृत होगा तथा यह नदी/नाले पुर्नजीवित होंगे और इनमें बरसात के बाद लंबे समय तक पानी की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकती है।

1.2 अतः उपरोक्त से स्पष्ट है कि नदी को पुर्नजीवित करने का आशय केवल इसका गहरीकरण अथवा इसमें चुनिंदा स्टाप डेम/चेक डेम का निर्माण नहीं है, अपितु नदियों को पुर्नजीवित करने का आशय यह है कि इसमें मानसून समाप्त होने के पश्चात अर्थात अक्टूबर माह के पश्चात भी लंबे समय तक पानी का प्रवाह बना रहे।

2. चयनित नदी की आधारभूत जानकारी का संकलन :–

3.1 चयनित नदी/नालों के संबंध में निम्न आधारभूत जानकारी का संकलन कर लिया जाये :–

- 3.1.1 नदी/नाले का नाम एवं लंबाई;
- 3.1.2 कैचमेंट एरिया का विस्तार तथा इसमें आने वाले माइक्रोवाटरशेड;
- 3.1.3 नदी/नाले की Tributaries के नाम एवं लंबाई;
- 3.1.4 स्थानीय क्षेत्र की भूगर्भीय संरचना एवं हाइड्रोजीओलॉजी;
- 3.1.5 नदी/नालों से जुड़े ग्रामों की संख्या एवं नाम;
- 3.1.6 नदी/नाले पर पूर्व में बनाये गई विभिन्न संरचनाओं का विवरण (स्टाप डेम/चेक डेम/नाला बंधान) आदि;
- 3.1.7 नदी/नाले द्वारा सिंचित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) का विवरण (पूर्व स्थिति के आकलन के आधार पर);
- 3.1.8 नदी/नाले के कैचमेंट में अभी तक बनी विभिन्न संरचनायें;

3.1.9 नदी/नालों के सूखने के मुख्य समस्या (सिल्टिंग, कैचमेंट एरिया में अतिक्रमण, भूजल स्तर का गिरना, Streams/Tributaries का सूख जाना, वृक्षों की कटाई, अल्प वर्षा आदि) की पहचान करना;

3. सूखी नदी/नाले को पुर्नजीवित करने के लिए कार्यों का चिन्हांकन व प्राक्कलन :-

4.1 सर्वप्रथम चयनित नदी के कैचमेंट में आने वाले माइक्रोवाटरशेडों का स्पष्ट चिन्हांकन कर लिया जाये। माइक्रोवाटरशेडों का यह चिन्हांकन जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन मिशन द्वारा जिलों को पूर्व में प्रदाय किये गये वाटरशेड एटलस के आधार पर किया जाये। ततपश्चात प्रत्येक माइक्रोवाटरशेड हेतु जल संरक्षण बजट तैयार किया जावे ताकि इस बजट के अनुसार उपलब्ध होने वाले संपूर्ण पानी को रोका जा सके, और इस पानी को रोकने के लिए जा सकने वाले कार्यों का निर्धारण भी हो सकेगा। प्रत्येक माइक्रोवाटरशेड में जल संरक्षण बजट को ध्यान में रखकर तथा संकलित की गई आधारभूत जानकारी एवं समस्या के विश्लेषण के आधार पर स्थानीय परिस्थितियों और तकनीकी पहलुओं के अनुरूप और वाटरशेड की अवधारणा के अनुसार पर निम्न में से आवश्यक कार्यों का ऐसा और इतना चयन करना होगा, ताकि वर्षा जल के प्रवाह से उपलब्ध होने वाले अधिक से अधिक पानी को रोका जा सके :-

4.1.1 पहाड़ी क्षेत्रों/अधिक ढाल वाले क्षेत्रों में कंटूर ट्रेंच;

4.1.2 पहाड़ी क्षेत्रों/अधिक ढाल वाले क्षेत्रों में गली पर गली प्लग;

4.1.3 पड़त भूमि/गैर कृष्य भूमि पर वृक्षारोपण;

4.1.4 भूजल संवर्धन के कार्य जैसे परकोलेशन तालाब, कुओं का रिचार्ज इत्यादि;

4.1.5 Tributaries/सहायक नालों/चयनित नदी में श्रृंखलाबद्ध नाला बंधान/चैकडेम/स्टाप डेम;

4.1.6 पूर्व निर्मित जल संग्रहण संरचनाओं की गाद निकालना;

4.1.7 नदी के प्रवाह क्षेत्र से गाद निकालना;

4.1.8 नवीन सामुदायिक जल संग्रहण संरचनाओं जैसे तालाब, चैक डेम/स्टाप डेम का निर्माण;

4.1.9 कृषकों की निजी भूमि पर मेढ़ बंधान/खेत तालाब के कार्य

4.2 उपरोक्तानुसार नदी के कैचमेंट के प्रत्येक माइक्रोवाटरशेड में कार्यों के चिन्हांकन के साथ साथ इनके प्रस्तावित निर्माण हेतु खसरा नंबर, मजमूली नक्शे पर चिन्हांकन तथा प्राक्कलन और ड्राइंग व डिजाईन भी तैयार कराई जाये।

5. सूखी नदी/नाले को पुर्नजीवित करने के लिए चयनित कार्यों के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय नियोजन :-

5.1 कार्यों के चिन्हांकन और विस्तृत प्राक्कलन तैयार होने के पश्चात इन कार्यों के कार्यान्वयन के लिए समुचित वित्तीय नियोजन भी करना होगा। यह वित्तीय नियोजन कन्वरजेंस की अवधारणा के आधार पर ग्रामीण विकास विभाग तथा अन्य शासकीय विभाग की प्रचलित योजनाओं से किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त समुदाय की भागीदारी तथा जनभागीदारी मद से ऐसे कार्यों के लिए अन्य संसाधन जुटाये जा सकते हैं, जो कार्य शासकीय योजनाओं से निष्पादित नहीं हो सकते। ऐसी विभिन्न योजनाओं की सूची **अनुलग्नक – 4** में ही दर्शाई गई है।

5.2 ज्ञातव्य है कि ग्राम स्तरीय माइक्रो प्रोजेक्ट की आयोजना और कार्यान्वयन की अवधारणा को भी नदी पुर्नजीवन के कार्य से अभिसरित किया गया है। अतः इस परिप्रेक्ष्य में सूखी नदी को पुर्नजीवित करने के लिए इसके कैचमेंट के चयनित ग्रामों में ग्राम स्तरीय माइक्रो प्रोजेक्ट भी प्रावधानों के अनुरूप लागू किया जाए।

6. संस्थागत व्यवस्था :–

6.1 सूखी नदी को पुर्नजीदित करने के कार्यों का कार्यान्वयन वित्तीय नियोजन की स्त्रोत शासकीय योजनाओं के प्रावधानों के अनुरूप संस्थागत व्यवस्था को सौंपा जाए। चयनित नदी के कैचमेंट के ग्रामों में ऐसे ग्राम जो माइक्रो प्रोजेक्ट में शामिल है, उनमें उनमें भी वित्तीय नियोजन की स्त्रोत शासकीय योजनाओं के प्रावधानों के अनुरूप संस्थागत व्यवस्था से कार्य योजना में शामिल कार्यों का कार्यान्वयन कराया जाए।

7. चयनित नदी को पुर्नजीवित करने हेतु कार्य योजना तैयार करना :–

7.1 चयनित नदी को पुर्नजीवित करने के लिए कार्यों के चिन्हांकन, विस्तृत प्राक्कलन तथा वित्तीय नियोजन तय हो जाने पर कार्य योजना बनाई जाये, जिसके अवयव निम्नानुसार हो सकते हैं :–

7.1.1 जल अभिषेक अभियान की पृष्ठभूमि;

7.1.2 जिले में पुर्नजिदित करने हेतु नदी के चयन का आधार व आवश्यकता;

7.1.3 चयनित नदी और इसके कैचमेंट क्षेत्र के आधारभूत आंकड़े;

7.1.4 नदी के कैचमेंट में आने वाले प्रत्येक माइक्रोवाटरशेडों/ग्रामों का जल संरक्षण बजट,

7.1.5 नदी के कैचमेंट में आने वाले प्रत्येक माइक्रोवाटरशेडों/ग्रामों में चयनित जल संरक्षण और भूजल संवर्धन के लिए लिये जा सकने वाले कार्यों का माइक्रोवाटरशेडवार विवरण (मात्रा/संख्या, लागत, वित्तीय नियोजन हेतु स्त्रोत योजना, जनसहभागिता, ड्राइंग डिजाईन व प्राक्कलन इत्यादि);

7.1.6 नदी के कैचमेंट में आने वाले माइक्रोवाटरशेडों व इन माइक्रोवाटरशेडों की ड्रेनेज लाईनों का डिजीटाइजशन;

7.1.7 नदी के कैचमेंट में आने वाले प्रत्येक माइक्रोवाटरशेडों/ग्रामों के डिजीटाइज्ड मानचित्रों पर चयनित जल संरक्षण और भूजल संवर्धन का चिन्हांकन;

7.1.8 नदी के कैचमेंट में आने वाले माइक्रोवाटरशेडों/ग्रामों में चयनित किये गये जल संरक्षण और भूजल संवर्धन कार्यों को एकजाई कर संपूर्ण कैचमेंट के कार्यों की लागत तथा वित्तीय नियोजन (कौन सी योजना/जनसहभागिता/जनभागीदारी मद से कितनी राशि नियोजित की जायेगी) सहित संक्षेपिका तैयार करना;

7.1.9 नदी के कैचमेंट में आने वाले माइक्रोवाटरशेडों के डिजीटाइज्ड मानचित्रों, जिन पर चयनित कार्यों का चिन्हांकन किया गया है, को एकजाई कर नदी के संपूर्ण कैचमेंट में नदी को पुर्नजीवित करने हेतु चयनित किये गये कार्यों को एकसाथ दर्शाने वाला मानचित्र तैयार करना;

7.1.10 नदी के पुर्नजीवित होने पर प्राप्त होने वाले लाभों (सिंचाई सुविधा, कृषि के रकबे इत्यादि में परिवर्तन) का विवरण

8. स्वीकृतियां, कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण :-

7.1.11 तैयार की गई कार्य योजना में शामिल कार्यों की स्वीकृतियां वित्तीय नियोजन हेतु चिन्हित योजना के प्रावधानों के अनुसार जारी करायें। तदोंपरांत चयनित कार्यों का एकीकृत और सघन कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण भी संबंधित योजनाओं के प्रावधानों के अनुरूप प्राथमिकता पर कराया जाये।

अनुलग्नक – 3

भागीरथ कृषकों के कार्यों की आयोजना एंव कार्यान्वयन हेतु मार्गदर्शिका

1.1 उल्लेखनीय है कि 60 से 70 प्रतिशत कृषि भूमि समृद्ध किसानों के भू–स्वामित्व में है। स्वाभाविक है कि इन किसानों ने ही कृषि के लिए जल संसाधनों (विशेषकर भूजल का) का सर्वाधिक उपभोग किया है। जहां एक ओर इन किसानों के द्वारा किये गये लगातार भूजल दोहन से भूजल की स्थिति भयावह होती जा रही है, वहीं पर्याप्त जल उपलब्ध न होने के कारण ऐसे किसानों को खेती से संभावित लाभ की प्राप्ति भी नहीं हो रही है, जबकि पर्याप्त सिंचाई जल उपलब्ध होने से इनके लाभ में कई गुना वृद्धि हो सकती है। इन किसानों में इतना सामर्थ्य भी होता है कि वे स्वयं के संसाधनों से जल संरक्षण और भूजल संवर्धन के कार्य कर सकते हैं। इस अवधारणा पर देवास जिले में सामर्थ्यवान कृषकों द्वारा अपने खेतों में स्वयं के वित्तीय संसाधनों से सिंचाई तालाब का निर्माण कर जल अभिषेक अभियान में न केवल उल्लेखनीय सहभागिता की गई है, अपितु इन कृषकों ने निर्मित तालाबों से सिंचाई सुविधा उपलब्ध होने पर जल संरक्षण के कार्यों को आर्थिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत लाभकारी पाया है।

1.2 उक्त पृष्ठभूमि के परिप्रेक्ष्य में आप भी अपने जिले में ऐसे सामर्थ्यवान कृषकों (Potential Farmers) को चिन्हित करें, जो स्वयं के वित्तीय संसाधनों से स्वयं के खेतों की सिंचाई हेतु जल संरक्षण और भूजल संवर्धन के कार्य करेंगे। इन कृषकों को "भागीरथ कृषक" कहा जायेगा। ऐसे सामर्थ्यवान कृषक जो विगत 1 दशक से पानी की कमी झेल रहे हैं अथवा जिनके ट्यूब वेल/कुयें सूख गये हैं अथवा जिनके नवीन ट्यूब वेल/कुआं निर्माण असफल हो गये हैं, को चिन्हित करना श्रेयस्कर होगा, क्योंकि वो तालाब/बांध/डेम आदि ढांचे बनाकर वर्षा जल को एकत्र कर स्वयं के खेतों को सिंचित करने के इच्छुक होंगे और उन्हें इस दिशा में प्रेरित करना भी आसान होगा।

1.3 भागीरथ कृषकों के चिन्हांकन के पश्चात उन्हें स्वयं के खेत में स्वयं के वित्तीय संसाधनों से स्वयं के आर्थिक विकास के लिए स्वयं के खेतों को सिंचित करने हेतु जल संरक्षण एवं भूजल संवर्धन कार्य लेने हेतु प्रेरित एवं प्रोत्साहित करना होगा। इस हेतु इन भागीरथ कृषकों को सरल भाषा में यह समझाना होगा कि खेती के द्वारा आर्थिक लाभ के लिए जल संरक्षण कार्य क्यों आवश्यक हैं तथा जल संरक्षण एवं भूमि संवर्धन कार्य लेने पर उनके द्वारा जो निवेश किया जायेगा, उसके फलस्वरूप कितना पानी उपलब्ध होगा और इस उपलब्ध पानी से उनके कृषि उत्पादन में क्या अंतर आयेगा अर्थात उन्हें कितना आर्थिक लाभ होगा। संक्षेप में ऐसे कृषकों को पानी का अर्थशास्त्र समझाना होगा। इस समझाईश के अतिरिक्त भागीरथ कृषकों को ऐसे क्षेत्रों में ले जाया जाकर प्रशिक्षण भी दिलाया जा सकता है, जहां पूर्व में कृषकों ने तालाब जैसी व्यक्तिगत संरचनाओं का निर्माण कर खेती से आर्थिक लाभ अर्जित किया है। भागीरथ कृषकों को जल संरक्षण एवं भूजल संवर्धन कार्य लेने हेतु प्रेरित एवं प्रोत्साहित करने में माननीय सांसद, माननीय विधायकगण, जिला कलेक्टर एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी–जिला पंचायत, अनुविभागीय अधिकारी – राजस्व की सक्रिय भागीदारी निश्चित ही परिणाममूलक होगी।

1.4 भागीरथ कृषकों के चिन्हांकन एवं उनके प्रशिक्षण के पश्चात यह निर्धारण करना होगा कि वह जल संरक्षण एवं भूजल संवर्धन हेतु कौन सा कार्य लेंगे। विकल्प के तौर पर भागीरथ कृषकों को **<u>खेतों में "सिंचाई तालाब" अथवा समीपस्थ नाले पर चैक डेम/नाला बंधान/स्टाप डेम</u>** का सुझाव दिया जा सकता है। कार्य तय होने के पश्चात निर्धारित करना होगा कि इस कार्य का स्थल कहां पर होगा, इसका स्वरूप तथा आकार/डिजाईन क्या होगी। उपयुक्त स्थल चयन और स्वरूप तथा आकार/डिजाईन निर्धारण हेतु हितग्राही कृषक को तकनीकी मार्गदर्शन उपलब्ध कराना होगा। कार्य के निर्धारण के पश्चात इसकी लागत का निर्धारण कर भागीरथ कृषक को निर्माण कार्य के लिए वित्तीय नियोजन हेतु आवश्यक मार्गदर्शन उपलब्ध कराना होगा हो सकता है कि भागीरथ कृषक स्वयं की जमापूंजी से निर्माण कार्य कराये अथवा वित्तीय संस्थानों जैसे बैंक से वित्तीय नियोजन की इच्छा रखता हो। यदि कृषक बैंक से वित्तीय नियोजन करवाना चाहता है तो ऐसे प्रकरणों में समयबद्ध कार्यवाही के लिए कृषक को आवश्यक मार्गदर्शन एवं सहयोग उपलब्ध कराना होगा। शासकीय योजनाओं से भी यथासंभव अभिसरण किया जा सकता है।

1.5 वित्तीय नियोजन के उपरांत हितग्राही द्वारा चयनित जल संरक्षण कार्य का निर्माण कार्य प्रारंभ कराना होगा। निर्माण कार्य प्रारंभ होते समय जिला कलेक्टर एवं जनप्रतिनिधि (माननीय सांसद/माननीय विधायक/माननीय पंचायत प्रतिनिधिगण) यदि स्वयं उपस्थित रहेंगे और सांकेतिक श्रमदान भी करेंगे तो उनकी उपस्थिति मात्र से अन्य कृषकों एवं ग्रामीण समाज के लिए सामाजिक जुड़ाव का मार्ग प्रशस्त हो सकेगा। निर्माण कार्य में भी कृषक को आवश्यक तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करना होगा। इसके अतिरिक्त निर्माण हेतु आवश्यक संसाधन जैसे मशीन इत्यादि जुटाने में भी जिला प्रशासन को समन्वय एवं सहयोग प्रदान करना होगा।

1.6 भागीरथ कृषकों के चिन्हांकन, उन्हें स्वयं के खेतों में सिंचाई हेतु जल संरक्षण एवं भूजल संवर्धन के कार्य के लिए प्रोत्साहित करने, कार्य का चयन, आयोजना तैयार करना व कार्य चयन में तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करने और वित्तीय नियोजन हेतु सहयोग प्रदान करने में प्रमुख विभागों नामतः राजस्व, कृषि, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, जल संसाधन, वन एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को जोड़ा जाये।

नोट :	**कोई कृषक भागीरथ कृषक तभी कहलायेगा, जब वह स्वयं के खेतों पर सिंचाई हेतु सिंचाई तालाब/बांध/चेक डेम/स्टाप डेम का निर्माण कराता है। किसी भी स्थिति में मेढ़ बंधान, कुआं रिचार्ज, बोल्डर चेक, कुइया कुण्डी जैसे अल्प लागत के कार्य करने वाले कृषक भागीरथ कृषक की श्रेणी में नहीं आयेंगे। जल अभिषेक अभियान की प्रगति की जानकारी प्रेषित करते समय मेढ़ बंधान, कुआं रिचार्ज, बोल्डर चेक, कुइया कुण्डी जैसे अल्प लागत के कार्य करने वाले कृषकों की प्रगति भागीरथ कृषक की प्रगति में इंद्राज न करें।**

अनुलग्नक – 4

सांकेतिक तौर पर अभिसरित की जा सकने वाली योजनाओं/वित्तीय स्त्रोतों की सूची

नदी पुर्नजीवन हेतु उपलब्ध अभिसरण के विभिन्न योजनायें	विभाग
गौण खनिज की राशि	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
पंचायतों की मूलभूत मद की राशि	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
राष्ट्रीय सम विकास योजना	किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग
आत्मा	किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग
माइक्रो मैनेजमेंट योजना	किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग
लघुत्तम सिंचाई योजना	किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग
बलराम तालाब योजना	किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग
भूजल संवर्धन योजना	किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग
वन विभाग की योजनायें	वन विभाग
तेंदू पत्ता संग्रहण के फलस्वरूप उपलब्ध होने वाली राशि	वन विभाग
स्वजलधारा योजना एवं भूजल संवर्धन योजना	लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी विभाग
जल संरक्षण व संवर्धन उपयोजनायें	अनुसूचित जाति कल्याण विभाग एवं आदिम जाति कल्याण विभाग
सांसद/विधायक निधि	
जनभागीदारी निधि	
सूखा राहत मद	

अनुलग्नक – 5

पीढी जल संवाद हेतु मार्गदर्शिका

1. ग्राम सभा की कार्य सूची में पीढ़ी संवाद को शामिल किया जाये।
2. पीढी जल संवाद के आयोजन के पूर्व स्थानीय समाचार पत्रों में "पीढ़ी जल संवाद" के आयोजन की तिथियों और स्थान के संबंध में समाचार प्रकाशित कराये जायें।
3. प्रचार प्रसार माध्यमों तथा स्थानीय माध्यमों (उदाहरणतः मुनादी पिटवाकर) के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में "पीढ़ी जल संवाद" का समुचित प्रचार किया जाये कि नियत दिनांक को को गांव के बुजुर्ग और युवा इस संवाद में पानी की उपलब्धता तथा पानी के संरक्षण और संवर्धन के उपायों और ग्रामीणों के दायित्वों पर चर्चा हेतु अवश्य भाग लें।
4. ग्राम सभा के दौरान "पीढ़ी जल संवाद" हेतु बुजुर्ग व्यक्तियों का ग्राम के युवाओं (विशेषकर कृषकों के साथ खुला संवाद आयोजित किया जाये, जिसमें भागीरथ कृषकों को भी आमंत्रित किया जाये। इस संवाद में गांव के बुजुर्ग व्यक्ति गांव में पूर्व में पानी की पर्याप्त उपलब्धता, व्यापक हरियाली जंगल की समृद्धता से अवगत कराये व आज की परिस्थितियों से तुलना कर उपयुक्त समझाइश दे, ताकि युवा पीढ़ी भविष्य में जल संरक्षण को गम्भीरता से लेते हुए सजग हो सके। संवाद के दौरान गांव में पानी की समस्या के निदान के लिए किये जा सकने वाले जल संरक्षण और संवर्धन के उपायों/गतिविधियों और ग्रामीणों के दायित्वों पर भी विचार विमर्श किया जाये। इसके अतिरिक्त ग्राम की ऐसी सामूहिक जल संग्रहण संरचनायें जो जीर्णशीर्ण हो चुकी हैं, उन्हें चिन्हित कर उनके सुधार की आयोजना व इसे जल अभिषेक अभियान की कार्य योजना में शामिल करने पर भी विचार विमर्श किया जाये।
5. आयोजित होने वाले पीढ़ी जल संवाद के दौरान प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक वृहद स्वरूप के जल संरक्षण व भूजल संवर्धन के कार्य की शुरूआत भी की जा सकती है। इस अवसर पर छोटे कार्य जैसे कंटूर ट्रेंच, नलकूप रिचार्ज या कुआं रिचार्ज न लिया जाये। यथोचित कार्य चिन्हित कर पीढी जल संवाद के आयोजन के पूर्व स्वीकृति की कार्यवाही कर ली जाये।
6. जिले के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को यह दायित्व सौंपा जाये कि वे "पीढ़ी ज़ल संवाद" के दौरान ग्राम सभा में उपस्थित रहें एवं इसकी कार्यवाही को संचालित व रिकार्ड करें और विडियो रिकार्डिंग करायें। जिन अधिकारियों व कर्मचारियों को पीढ़ी जल संवाद के संचालन का दायित्व सौंपा जायेगा, उन्हें इसकी अवधारणा पर प्रशिक्षण दे दिया जाये। इसी तरह ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों विशेषकर सरपंचों को भी पीढ़ी जल संवाद की अवधारणा व जल अभिषेक अभियान हेतु सामाजिक जुड़ाव पर प्रशिक्षण दिया जाये।
7. कलेक्टर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, अनुविभागीय अधिकारी–राजस्व तथा विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय प्रमुख अधिकारी भी "पीढ़ी जल संवाद" के कार्यक्रम में सहभागी बन मार्गदर्शन प्रदान करने का कष्ट करें।
8. माननीय सांसद, विधायकगणों, जिला पंचायत व जनपद पंचायत के प्रतिनिधियों तथा सरपंचों को भी "पीढ़ी जल संवाद" के कार्यक्रम में आमंत्रित किया जाये।
9. "पीढ़ी जल संवाद" के कार्यक्रम का मीडिया कवरेज भी कराया जाये।

10. जिले में आयोजित ''पीढ़ी जल संवाद'' का दस्तावेजीकरण करायें, जिसमें इसके आयोजन व परिणामों का उल्लेख होगा तथा फोटोग्राफ भी शामिल होंगे।